

RR No. 836
21709

राजस्थान सरकार
शिक्षा (गुप-1) विभाग

जयपुर, दिनांक: 14.07.2009

क्रमांक: प.10(1)शिक्षा-1/2009

समन्वयक-पीटीईटी,
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर।

विषय :- सत्र 2009-10 में बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र/नवीनीकरण
आदेश दिनांक 29.6.09 एवं 3.07.09 की निरन्तरता में सशर्त एवं बिना शर्त जारी
सूची में संशोधन करने बाबत।

संदर्भ :- समसंख्यक विभागीय आदेश दिनांक 29.6.09

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.6.09 एवं 3.7.09 की
निरन्तरता में सशर्त एवं बिना शर्त जारी सूची में निम्नानुसार संशोधन/शुद्धि पत्र जारी किया जा
रहा है :-

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	सहशिक्षा/ महिला	आवंटित सीट	सूची का प्रकार	सूची में अंकित क्र.सं.	वांछित संशोधन
1.	महिला टी.टी. कॉलेज, वीरदुर्गावास नगर, पाली	महिला	100	सशर्त	64	एनसीटीई द्वारा संस्था का नाम दिनांक 5.6.09 के द्वारा श्रीमती रुकनादेवी महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वीरदुर्गावास नगर, पाली
2.	नवज्योति टी.टी. कॉलेज गायत्री धर्मशाला के पास वार्ड नं. 29, राधे कृष्णपुरा, सीकर	सहशिक्षा	100	बिना शर्त	470	200 सीट
3.	कुचामन महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, स्टेशन रोड कुचामन सिटी, नागौर	महिला	100	बिना शर्त	27	संस्था का नाम एनसीटीई द्वारा परिवर्तन किये जाने के आधार पर बी.आर. कावरा कुचामन महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कुचामन सिटी, नागौर
4.	कुचामन कॉलेज ऑफ एज्युकेशन सीकर रोड कुचामन सिटी नागौर	सहशिक्षा	100	बिना शर्त	58	इस विभाग की सूची दिनांक 29.6.09 के अनुसार यथावत रखा जाता है।
5.	बया नरसिंहदास महिला शि.प्र. महाविद्यालय ग्रामपोस्ट नेछवा, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर	महिला	100	सशर्त	50	संस्था को एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता स्वयं के भवन के आधार पर दिये जाने के कारण बिना शर्त मान्यता दी जाती है।
6.	भारतीय महिला टी.टी. कॉलेज, बीकानेर बाईपास, डाणी सलीम सिंह, चन्दपुरा सीकर	महिला	200	बिना शर्त	51	इस विभाग की सूची दिनांक 29.6.09 के अनुसार क्र.सं. 501 को यथावत रखा जाता है।
7.	चुण्डा महिला टी.टी. कॉलेज ग्राम डीकली प्रतापनगर उदयपुर	सहशिक्षा II	100	बिना शर्त	659	महिला
8.	श्री बालाजी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बनाड रोड मचेडा, जयपुर	महिला	100	सशर्त	40	संस्था को एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता स्वयं के भवन के आधार पर दिये जाने के कारण बिना शर्त मान्यता दी जाती है।
9.	कला आश्रम कौटोज ऑफ टी. टी.आर.एच.ओ. 21-ए, देल्यानगरी, उदयपुर	सहशिक्षा	100	सशर्त	78	संस्था को एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता स्वयं के भवन के आधार पर दिये जाने के कारण बिना शर्त मान्यता दी जाती है।
10.	बी.के.त्यागी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, घंटाघर रोड, पोलपुर	सहशिक्षा	100	सशर्त	19	संस्था को एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता स्वयं के भवन के आधार पर दिये जाने के कारण बिना शर्त मान्यता दी जाती है।
11.	साल बहादुर शास्त्री शि. प्र. महावि. 1.एफ.23 महावीरनगर -III, कोटा	महिला	100	सशर्त	74	संस्था को एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता स्वयं के भवन के आधार पर दिये जाने के कारण बिना शर्त मान्यता दी जाती है।
12.	आर्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, अलवर	महिला	120	सशर्त	21	संस्था को एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता स्वयं के भवन के आधार पर दिये जाने के कारण बिना शर्त मान्यता दी जाती है।

13.	श्री अग्रसेन शिक्षक प्रशिक्षण महिला, बी.एड. महाविद्यालय, ए०ब्लॉक रणजीतनगर, भरतपुर	महिला	100	सशर्त	18	संस्था को एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता स्वयं के भवन के आधार पर दिये जाने के कारण बिना शर्त मान्यता दी जाती है।
14.	ज्योति शि.प्र.महावि. अहिंसापुरी फतेहपुर उदयपुर	सहशिक्षा	100	बिना शर्त	642	महिला
15.	हितकारी महिला कॉन्फेरेटिव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोटा	सहशिक्षा	120	बिना शर्त	582	महिला
16.	सर्वोदय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, पोस्ट चेन्नार, डीडवाना रोड, नागौर	महिला	100	सशर्त	5	संस्था को एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता स्वयं के भवन के आधार पर दिये जाने के कारण बिना शर्त मान्यता दी जाती है।
17.	महादेवी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नारायणपुर अलवर	महिला	200	सशर्त	22	संस्था 15 वर्ष पुरानी है और संस्था को एनसीटीई द्वारा स्वयं के भवन में ही मान्यता प्रदान की गई है।

कृपया पत्र अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में संशोधनानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।

भूषदीय

उप शासन सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, मा० शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
2. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज० बीकानेर
4. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई-एनआरसी, ए-46, शांति पथ, तिलक नगर, जयपुर
5. श्री तपन सिन्हा, परियोजना निदेशक, राजकॉम्प, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।

विशेषाधिकारी-शिक्षा (40709)